न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 58/2019

1. जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर ।
2. सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर ।

--वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए,136 एलआरएक्ट

--निर्णय-- दिनांक : २२/१०/१९

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता स. 70/73 के मु.न. 20 की कुल 6.325 हैक्टर बारानी भूमि में 10 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं चक 22 ओ ए के खाता संख्या 19/18 के मु. न. 26 की कुल 3.466 हैक्टर नहरी मु.न. 33 की कुल 3.416 हैक्टर नहरी भूमि, मु.न. 38/16 की 0.076 हैक्टर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल खाता का योग 6.958 हैक्टर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि में दर्शन सिंह के साथ वादीगण के नाम 0.696 हैक्टर बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। जो चक 24 ओ भुट्टीवाला में जन्म से आबाद है। वादीगण का स्नेह से नाम क्रमशः मन्दर सिह , लखा सिह कहते है। जबकि विद्यालय में शिक्षा दौरान नाम क्रमशः जसपाल सिह तथा सिमरजीत सिंह दर्ज करवाया गया है। उनके तमाम दस्तावेज भी इसी नाम से बने हुए है। वादीगण के नाम उनके बाल्यकाल में ही चक 24 ओ भुट्टीवाला में संयुक्त 5 बीघा कृषि भूमि तथा 22 ओ में तीनो भाइयों के नाम 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि बहिस्सा बराबर-बराबर उनके पूर्वजों द्वारा खरीद कर नाम लगवायी गईं। वादीगण के पूर्वज अनपढ थे। और वादीगण का नाम उक्त भूमि बैयनामा करवाते समय मन्दर सिह व लखा सिह दर्ज करवा दिया। यही नाम कालान्तर जमाबन्दी में दर्ज है। जबकि तमाम दस्तावेज के अनुसार वादीगण के नाम क्रमशः जसपाल सिह, सिमरजीत सिंह है। वादीगण अपने नामों में उत्पन्न हुई विविधता को समाप्त कर इसे राजस्व अभिलेख में मन्दर सिह के स्थान जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह तथा लखा सिह के स्थान पर सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिंह संशोधित करवाना चाहते है। राजस्व अभिलेख में वादीगण के चले आ रहे त्रुटिपूर्ण नाम काफी पुराने है लेकिन पूर्व में वादीगण का उक्त त्रुटि पूर्ण नाम दर्ज होने की कभी जानकारी नही थी। क्योकि उक्त भूमि उनके बचपन में ही क्रय कर उनके नाम लगवा दी गई थी। इसके पूर्व कभी भी राजस्व अभिलेख भी वादीगण ने प्राप्त नही किया। अब अभिलेख के अवलोकन पर वादीगण की उक्त तथ्यों की जानकारी हुई है। तब अविलम्ब वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

कि चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 70/73 के मु. न. 20 की कुल 6.325 हैक्टर व चक 22 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 19/18 के मु.न. 26 की कुल 3.466 हैक्टर नहरी भूमि, मु.न. 33 की कुल 3.416 हैक्टर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

नहरी भूमि, मु.न. 38/16 की कुल 0.076 हैक्टर गैरमुमकिन खाला भूमि इस प्रकार दोनों खाता की कुल 6.958 हैक्टर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम मन्दर सिह के स्थान पर जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह व वादी संख्या 2 का नाम लखा सिह के स्थान पर सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिह संशोधित किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। जबाव स्टेट के अनुसार संबधित जमाबन्दी (राजस्व रिकॉर्ड) में वादी संख्या 1 का नाम मन्दर सिह पुत्र गुरजन्ट सिह के स्थान पर जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तथा वादी संख्या 2 का नाम लखा सिह पुत्र गुरजन्ट सिह के स्थान पर सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। जबाव स्टेट के अनुसार उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 70/73 व चक 22 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 19/18 में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम मन्दर सिह के स्थान पर जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह व वादी संख्या 2 का नाम लखा सिह के स्थान पर सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादीगण के नाम क्रमशः जसपाल सिह, सिमरजीत सिंह अंकित है। वादीगण के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादीगण का नाम क्रमशः जसपाल सिंह उर्फ मन्दर सिंह, सिमरजीत सिंह उर्फ लखा सिंह अंकित किया गया है। जमाबन्दी में नाम क्रमशः मन्दर सिह, लखा सिह अंकित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 70/73 व चक 22 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 19/18 में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम मन्दर सिह के स्थान पर जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह व वादी संख्या 2 का नाम लखा सिह के स्थान पर सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो चको के दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुतर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक २२/१०/१९ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

जसपाल सिंह उर्फ मन्दर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
दावा 88आर.टी.ए 136एल.आर.एक्ट मुकदमा नं0 58/2019
निर्णय दिनांक :- 22.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक जोशी** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 70/73 व चक 22 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 19/18 में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम मन्दर सिह के स्थान पर जसपाल सिह उर्फ मन्दर सिह व वादी संख्या 2 का नाम लखा सिह के स्थान पर सिमरजीत सिह उर्फ लखा सिह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो चको के दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 23/10/19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगा.))

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
(मूलचन्द लूणिया, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

मुहर (उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगा.))

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
(मूलचन्द लूणिया, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर)